न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 166/2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

सेवक राम पुत्र डालूराम बजाज (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—अनमोल साई ट्रेडर्स, गुड़ मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 29, एफसीआई रोड़, चाचाण फैक्ट्री, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।
मंगल चन्द पुत्र कृष्ण लाल कालका (निर्माता)
मैसर्सः—रॉयल रोज इण्डस्ट्रीज, बी—3 रीको एरिया, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
निवासीः—माताजी मंदिर के पास, वार्ड नं. 18 न्यू, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं।

—:निर्णयः—

दिनांक :—15.01.2026

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 17.05.2023 को समय दोपहर 01.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—अनमोल साई ट्रेडर्स, गुड़ मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सेवक राम पुत्र डालूराम बजाज (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 29, एफसीआई रोड़, चाचाण फैक्ट्री, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते कार्टून में Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) तादाद करीब 09 X 750 मिलीलीटर रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 04 X 750 मिलीलीटर Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) के खरीद मूल का 420/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) 04 X 750 एम.एल. पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2650 मिन पर दर्ज कर चारों सिरप पर चिपकाया। प्रत्येक सिरप को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2650 मिन पर दर्ज कर चारों सिरप पर चिपकाया। प्रत्येक सिरप को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 744 दिनांक 30.05.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/10509–10 दिनांक 08.06.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी–01 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सेवकराम पुत्र डालूराम बजाज हनुमानगढ़ टाउन में मैसर्स अनमोल सांई ट्रेडर्स के नाम से कारोबार करता है तथा खुदरा विक्रेता है। अप्रार्थी द्वारा रॉयल राज इण्डस्ट्रीज सूरतगढ़ से विभिन्न प्रकार के निर्मित शरबत को बंद पैकिग में खरीद कर लाया जाता है तथा बंद पैकिंग में ही अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट व उस उत्पाद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। अप्रार्थी के विरूद्ध हस्तगत नोटिस के अंतर्गत लगाये गये आरोप मिथ्या है। अप्रार्थी सदभावी है। अप्रार्थी का उक्त उत्पाद के संबंध में विक्रय करने के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है। रॉयल राज इण्डस्ट्रीज सूरतगढ़ द्वारा ही उक्त उत्पाद का निर्माण किया जाता है लेकिन श्रीमान द्वारा उसको नोटिस प्रेषित नहीं किया है। अप्रार्थी का उक्त उत्पाद के निर्माण के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुये उपरोक्त कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। अप्रार्थी–2 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सूरतगढ़ में रॉयल रोज इण्डस्ट्रीज पर विभिन्न प्रकार के शरबत तैयार कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सप्लाई करता है तथा डीलर के जरिये बेचान करता है। अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी राज्य में आज तक मिसब्राण्डेड से संबंधित कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अप्रार्थी विभाग के सभी नियमों का पालन करता रहा है। अप्रार्थी धारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) का दोषी नहीं है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Strawberry Syrup (Royal Raj Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–01 पर 7,000/–(अखरे रूपये सात हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–2 पर 50,000/– (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 57,000/–(अखरे रूपये सतावन हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़